



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020 (PHALGUNA 6, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th February, 2020

No. 07-HLA of 2020/18/3606.- The Haryana State Council for Physiotherapy Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 07-HLA of 2020

THE HARYANA STATE COUNCIL FOR PHYSIOTHERAPY BILL, 2020

A

BILL

to provide for the constitution of the Haryana State Council for Physiotherapy for the purpose of registration of Physiotherapists in the State and for the recognition of institutions imparting training in the field of Physiotherapy and for co-ordination and determination of standards of education in the field of Physiotherapy and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana State Council for Physiotherapy Act, 2020. Short title,
extent and
commencement.
- (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) "Council" means the Haryana State Council for Physiotherapy constituted under section 3;
 - (b) "Equivalence and Registration Committee" means the Equivalence and Registration Committee constituted under section 13;
 - (c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted by the Council under section 12;
 - (d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

- (e) “Inspector” means an Inspector appointed by the Executive Committee under section 24;
- (f) “institution” means an institution recognized by the Council for imparting education and training in Physiotherapy;
- (g) “member” means the member of the Council and includes the President and Vice-President;
- (h) “Physiotherapist” means a person who possesses Physiotherapy qualification from a recognized institution and whose name has been enrolled in the register of Physiotherapists;
- (i) “Physiotherapy” means a branch of modern medical science which includes examination, treatment, advice and instructions to any person preparatory to or for the purpose of or in connection with movement dysfunction, bodily malfunction, physical disorder, disability, healing and pain from trauma and disease, physical and mental conditions using physical agents including exercises, mobilization, manipulation, mechanical and electrical therapy, activity and devices or diagnosis, treatment and prevention;
- (j) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (k) “recognised institution” means,—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of this Act;
- (l) “recognised university” means,—
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of this Act;
- (m) “register” means the register of Physiotherapists prepared and maintained by the Council under section 29;
- (n) “registered practitioner” means a Physiotherapist whose name is entered and continues to remain in the register;
- (o) “Registrar” means the Registrar appointed under section 16;
- (p) “regulations” means the regulations framed by the Council under this Act;
- (q) “State” means the State of Haryana.

Constitution of Council.

3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Haryana State Council for Physiotherapy to exercise the powers conferred on and to perform functions assigned to it under this Act.

(2) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act and the rules made there under to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to enter into contracts and shall by the said name sue and be sued.

(3) The headquarters of the Council shall be at Panchkula, Haryana.

Composition of Council.

4. (1) The Government shall, by notification constitute a Council consisting of the following members, namely:-

- (i) Director, Medical Education and Research Department shall be the President;
- (ii) Deputy Director, dealing with the subject of Physiotherapy in Medical Education and Research Department shall be the Vice-President;
- (iii) One Physiotherapist amongst the teaching faculty from each of the Government teaching institutions in the State, to be nominated by the Government;

- (iv) three Physiotherapists amongst the teaching faculty in the Government Aided or private institutions in the State, to be nominated by the Government;
- (v) two members elected in the election conducted by the Council from amongst the registered practitioners;
- (vi) one member from the Haryana Medical Council to be nominated by the Government.
- (2) The Registrar of the Council shall be the Member-Secretary.
- 5.** (1) A person shall not be qualified to be nominated, as a member, if he,- Disqualifications.
- (i) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (ii) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude, which, in the opinion of the Government renders him unfit to be a member of the Council;
- (iii) is an un-discharged insolvent;
- (iv) has been punished by the Council in any manner for infamous conduct in the profession;
- (v) has been removed or dismissed from the service of the Government or any institution;
- (vi) whose name has been removed or is not entered in the register; or
- (vii) has completed the age of sixty-two years.
- (2) If any member absent himself from three consecutive meetings of the Council, without the permission of the Council, or without such reason as may, in the opinion of the Council, be sufficient, the Council may declare his seat vacant and take steps to fill the vacancy.
- (3) If any member becomes or is found to be subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the Council shall submit a report to the Government, and the Government, if satisfied about the disqualification, shall declare his seat vacant.
- 6.** (1) The term of office of the member of the Council, other than the ex-officio members shall be three years from the date on which he assumes office. Term of office of member.
- (2) Where the said term of three years is about to expire in respect of any member, a successor may be nominated at any time within three months before the said term expires but he shall not assume office until the said term has expired.
- (3) No member shall be nominated for more than two terms or up to the age of sixty-two years, whichever is earlier.
- 7.** (1) Any casual vacancy arising in the office of a nominated member of the Council by reason of his death, resignation, removal or disability or otherwise, before the expiry of his term of office, shall be filled up within a period not exceeding six months from the date such vacancy occurs, in such manner, as may be prescribed. Casual vacancy.
- (2) Any person nominated under sub-section (1) shall hold office for the residual period of the term of the member in whose vacancy he has been nominated.
- 8.** (1) A member other than ex-officio member may, at any time resign his office by giving a notice in writing addressed to the President of the Council and such resignation shall be forwarded to the Government. Resignation.
- (2) Every such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Government.
- 9.** (1) The Council shall meet at least twice in a calendar year and may also meet as many times, as necessary to transact its business. Meetings of Council.
- (2) The President, when present, shall preside over the meeting of the Council and in his absence, the Vice-President shall preside. In case both the President and Vice-President are absent, any other member elected by the members present from amongst themselves shall preside at such meeting. The Vice-President or the member presiding for that meeting, as the case may be, shall have all the powers of the President.

- (3) All transactions of business at a meeting shall be decided by the votes of the majority of members.
- (4) The presiding authority at a meeting in addition to his vote as a member of the Council, shall have a second or a casting vote, in case of equality of votes.
- Quorum.** **10.** The quorum for the transaction of business at a meeting of the Council shall be one-third of the total number of the members including the President:
- Provided that if within half an hour from the time fixed for the meeting, quorum is not complete, the President or Vice-President or the presiding member, as the case may be, shall adjourn the meeting to such hour on some future day, as it may notify on the notice board and website of the Council. The business which may have been brought before the original meeting shall be brought before the adjourned meeting and shall be disposed of in such meeting or any subsequent adjournment thereof, whether quorum is complete or not.
- Proceedings of meetings.** **11.** (1) A copy of the proceedings of every meeting of the Council shall, within fifteen days from the date of the meeting, be forwarded to the Government or any other authority appointed by it on its behalf.
- (2) No act or proceedings of the Council shall be invalidated merely on the ground of any vacancy or defect in the constitution of the Council.
- Constitution of Executive Committee.** **12.** (1) The Council shall constitute an Executive Committee from amongst its members for performing such functions in the manner, as may be specified by regulations.
- (2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:-
- (i) the President of the Council shall be the Chairman;
 - (ii) the Vice-President of the Council shall be the Vice-Chairman;
 - (iii) the Registrar of the Council shall be the Member-Secretary;
 - (iv) one nominated member of the Haryana State Medical Council;
 - (v) one member each from sub-clauses (iii), (iv) and (v) of section 4, to be nominated by the President of the Council.
- (3) A member of the Executive Committee shall hold office until the expiry of his term of office as a member of the Council and he shall be eligible for re-nomination.
- (4) The Executive Committee shall exercise and discharge such powers and duties of the Council, as may be conferred upon it by regulations.
- Equivalence and Registration Committee.** **13.** (1) There shall be a Equivalence and Registration Committee for the purpose of recommending the recognition of degrees granted by institutions imparting training in Physiotherapy and to consider matters relating to registration of Physiotherapists. The recommendations of this committee shall be subject to approval by the Executive Committee and the Council, unless otherwise provided in this Act.
- (2) The Vice-President shall be Chairman of such committee. There shall be five other members nominated by the President of the Council from amongst the members, representing educationists and specialists in different branches of Physiotherapy.
- Sub-committees.** **14.** The Council may constitute sub-committees from amongst its members for such purposes, as it considers necessary.
- Payment of fee and allowances.** **15.** The non-official members of the Council shall be paid such fee and allowances for their attendance in connection with the meetings of the Council, as may be prescribed.
- Registrar.** **16.** (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Registrar who shall be a Physiotherapist.
- (2) The method of appointment, salary, allowances, suspension, dismissal, removal and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such, as may be prescribed.
- (3) Subject to the general superintendence and control by the Council, the Registrar shall be responsible for the performance of day-to-day affairs of the Council and such other functions, as may be assigned to him by the Council from time to time.

(4) During any temporary vacancy in the office of the Registrar due to leave or any other reason, the Executive Committee may, with the previous sanction of the Government, appoint any member to act in his place, and such person so appointed shall, for the period of such appointment, be deemed to be the Registrar for the purposes of this Act.

(5) The accounts of the Council shall be maintained by the Registrar in such manner, as may be prescribed.

(6) The Registrar shall have supervisory powers over the staff and shall perform such other duties and discharge such other functions, as may be prescribed.

17. (1) The Council may with the previous approval of the Government, appoint such other officers and employees other than the Registrar, as it may deem necessary, for performing its duties and discharging its functions under this Act.

Other employees of Council.

(2) The method of appointment, salary and allowances, discipline and other terms and conditions of service of officers and employees appointed by the Council shall be such, as may be prescribed.

18. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force, with effect from such date, as may be notified by the Government, -

Permission for establishment of new institutions.

(a) no person shall establish an institution imparting Physiotherapy; or

(b) no institution shall, -

(i) open a new or higher course of study or training (including a post-graduate course of study or training) which may enable a student or such course or training to qualify for the award of any recognised Physiotherapy qualification; or

(ii) increase its admission capacity in Physiotherapy course of study or training (including a post -graduate course of study or training),

except with the previous permission of the Government obtained in accordance with the provisions of this section.

(2) Every person or institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit an application to the Government and the Government shall, refer the application to the Council for its recommendations.

(3) On receipt of an application under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars, as it may consider necessary and thereafter, it may,

(a) if the application is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person concerned for making a written representation and it shall be open to such person to rectify the defects, if any, specified by the Council;

(b) consider the application having regard to the factors referred to in sub-section (6) and submit the application together with its recommendations thereon to the Government.

(4) The Government may, after considering the application and the recommendations of the Council, approve the application. The approval granted shall be deemed to be permission under sub-section (1).

(5) In case of disapproval of the application, the reasons for such disapproval shall be recorded in writing and such decision along with the reasons shall be conveyed to the applicant:

Provided that the applicant may represent to the Government with clarifications for the objections raised by the Government and Government may, after considering those clarifications, grant the permission:

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person whose application has not been approved by the Government to submit a fresh application and the provisions of sub-section (1) shall apply to such application.

(6) The Council, while making its recommendations under clause (b) of sub-section (3) shall have due regard to the following factors, namely:-

(a) whether the proposed institution or the existing institution seeking to open a new or higher course of study or training is in a position to offer the minimum standard of education as specified by the regulations;

- (b) whether the person seeking to establish an institution or the existing institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources;
- (c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, accommodation, training and other facilities to ensure proper functioning of the institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or shall be provided within the time limit specified in the application;
- (d) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart training to students likely to attend such institution or course of study or training by persons having the recognized Physiotherapy qualification;
- (e) whether necessary arrangement has been made or programme drawn to meet the requirement of manpower in the field of practice of Physiotherapy; and
- (f) such other factors, as may be specified by regulations.

(7) Where the Government passes an order either approving or disapproving an application under this section, a copy of the order shall be communicated to the person concerned.

Explanation.— For the purpose of this section “person” includes any university, trust, society, institution or a company but does not include the Central Government or State Government.

Non-recognition of qualifications in certain cases.

19. (1) Where after the commencement of this Act, any institution established without obtaining the previous permission of the Government as provided under this Act, any Physiotherapy qualification granted to any student by such institution shall not be a recognized qualification under this Act.

(2) Where any institution opens a new or higher course of study or training including a post-graduate course of study or training, without the previous permission of the Government under this Act, the qualification granted to any student by such institution shall not be recognized qualification under this Act.

(3) Where any institution increases its admission capacity in any course of study or training without the previous permission of the Government as provided under this Act, any Physiotherapy qualification granted to any student of such institution on the basis of increase in its admission capacity shall not be a recognized Physiotherapy qualification under this Act.

(4) The criteria for identifying a student who has been granted a Physiotherapy qualification on the basis unauthorized increase in the admission capacity shall be such, as may be prescribed.

Time for seeking permission for certain existing institutions.

20. (1) If, before the commencement of this Act, any person has established an institution or any institution has opened a new or higher course of study or training or increased its admission capacity, such person or institution, as the case may be, shall seek within a period of six months from the commencement of this Act, the permission of the Government in accordance with the provisions of this Act.

(2) If such institution fails to seek the permission under sub-section (1), the provisions of section 19 shall apply, so far as may be, as if, permission of the Government under section 18 has been refused.

Recognition of Physiotherapy qualifications.

21. (1) The qualifications granted by any recognised university or institution in the State which are recognized by the Haryana State Physiotherapy Council shall be recognized qualification for Physiotherapy and Physiotherapists after the date of commencement of this Act.

(2) Any recognised university or institution in India other than the State of Haryana which grants qualifications in Physiotherapy may apply to the Council seeking recognition of the Physiotherapy qualification being imparted by them. The Council shall further submit the proposal to the Government along with its recommendation to grant recognition to the Physiotherapy qualification provided by such recognised university or institution, by notification in the Official Gazette.

22. (1) A degree in Physiotherapy granted by a recognised university or by a recognized institution shall be sufficient qualification for enrolment in the register. Effect of recognition.

(2) No person shall after the date of commencement of this Act, be entitled to be enrolled in the register as a Physiotherapist unless he holds a recognized qualification:

Provided that in case of a dispute as to whether a person is entitled to be enrolled, the matter shall be referred to the Equivalence and Registration Committee which shall consider the reference and make recommendations to the Executive Committee, whose decision shall be final.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),-

(a) a citizen of India holding a qualification which entitles him to be registered with any Council of Physiotherapy in any foreign country recognized by the Government of that country, may with the approval of the Council, be enrolled temporarily in the register till the said qualification is recognized by the respective country;

(b) a person not being a citizen of India who is employed as a Physiotherapy teacher in any hospital or institution in India recognized by the Government of the concerned State or Union Territory, for the purpose of teaching, research or charitable work, may, with the approval of the President of the Council, be enrolled temporarily in the register, for such period, as may be specified:

Provided that such person shall not be allowed to practice as a general Physiotherapist and such teaching or work shall be limited to the hospital or institution to which he is attached:

Provided further that no such enrolment under clause (a) shall be permitted unless the Council satisfies itself that such person possesses the requisite knowledge and skill to practice Physiotherapy by conducting a screening test or such other test or examination, as may be prescribed.

23. Every institution or recognised university in the State which grants any recognized qualification or a recognized higher qualification shall furnish such details and information, as the Council may, from time to time, require as to the courses of study and training and examinations to be undergone in order to obtain such qualification and generally as to the requisites for obtaining such qualification. Power to require information as to courses of study and training and examination.

24. (1) The Executive Committee may by regulations framed in this behalf, appoint such number of Inspectors, as it deems necessary to inspect any institution where education or training in Physiotherapy is imparted, and to attend any examination held for the purpose of granting any recognized qualification or recognized higher qualification. Inspectors.

(2) The Inspectors appointed under this section shall not interfere with the course of any examination but shall report to the Executive Committee on the suitability of the institution for the purposes of training and on the adequacy of the training therein, as the case may be or on the sufficiency of the standard of examinations and on any other matters with regard to which Executive Committee may require them to report.

(3) The Executive Committee after consulting the Equivalence and Registration Committee, shall forward a copy of such report to the person or institution concerned and shall also forward a copy with the remarks, if any, to the Council and the Government.

25. (1) When upon the report by the Executive Committee, it appears to the Council that, – Withdrawal of recognition.

(a) the courses of study, training and examinations to be undergone to obtain a recognized qualification from any recognised university or institution in the State or the conditions for admission to such courses or the standards of proficiency required from candidates at such examinations; or

(b) the staff, equipment, accommodation, training and other training provided in such university or institution are not in conformity with the regulations made under the Act or fall short of the specified standards,

the Council shall make a representation to that effect to the Government. After considering such representation, the Government shall forward it, along with such remarks, as it may think fit, to the university or institution concerned with an intimation of the period within which the university or institution may submit its explanation to the Government.

(2) On the receipt of the explanation, if satisfied, the Government shall notify in the Official Gazette declaring that the qualification conferred by the said university or institutions shall be a recognized qualification.

(3) Where no explanation is submitted within the period fixed or dissatisfied with explanation advanced by the university or institution concerned, the Government shall, after making such further inquiry, if any, as it may think fit, by notification in the Official Gazette, withdraw the recognition given to the said university or institution and declaring that the qualification conferred by the said University or institutions shall be a recognized qualification only when granted before the specified date.

Registration.

26. (1) Every person eligible for registration under this Act shall apply for registration to the Registrar.

(2) An application for registration shall be in such form and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.

(3) Every person who applies for registration in respect of any additional recognized qualification shall pay such fee, as may be prescribed.

(4) Any person whose application for registration is rejected by the Registrar, may, within three months from the date of such rejection, file an appeal to the Council and the decision of the Council thereon shall be final.

Renewal of registration.

27. (1) Every registration made under section 26 shall be valid for a period of five years and shall have to be renewed before the end of the fifth year failing which the name of the person shall be deemed to have been removed.

(2) On payment of renewal fee and fine, if any, the Registrar, shall in such manner, as may be prescribed, issue a certificate of registration to the person concerned.

Withdrawal of application for registration.

28. Where a person, who after submitting application for registration applies for withdrawal or his registration is refused, the application fee shall be forfeited.

Preparation and maintenance of register.

29. (1) The Council shall maintain separate registers in such form and contain such particulars, as may be prescribed.

(2) The registers shall be deemed to be public documents within the meaning of section 74 of the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872).

Removal of name from register.

30. The Council may, by order, remove from the register the name of any Physiotherapist who has been convicted of a cognizable offence as defined by the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), or has been found guilty of professional misconduct after due enquiry.

Appeal against order of removal of name from register.

31. (1) Where the name of any person has been removed from the register on any other ground except that he is not in possession of the requisite Physiotherapy qualifications, he may appeal to the Council in such form and manner along with such fee, as may be prescribed, within a period of thirty days. The decision of the Council shall be final.

(2) No appeal under sub-section (1) shall be admitted if it is preferred after the expiry of a period of thirty days from the date of the order:

Provided that, an appeal may be admitted after the expiry of the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Council that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

Rights and privileges of Physiotherapist.

32. No person, other than a Physiotherapist shall,-

(a) hold office as Physiotherapist in the Government or in any institution maintained by a local or other authority;

- (b) practice Physiotherapy anywhere in the State and recover in respect of such practice any expenses or fees to which he may be entitled;
- (c) be entitled to sign or authenticate any certificate required by any law to be signed or authenticated by an Physiotherapist;
- (d) be entitled to give any evidence in any court as an expert under the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872), on any matter relating to the Physiotherapy.
- 33.** (1) The Council may make regulations prescribing the standards of professional conduct and etiquette and a code of ethics for Physiotherapist. Professional conduct.
- (2) The regulations made under sub-section (1) may specify which violations thereof shall constitute professional misconduct and such provisions shall have effect notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force.
- (3) Whenever the Executive Committee after such enquiry as it thinks fit, recommends that the name of any person enrolled in the register be removed there from, it shall report to the Council and the Council shall after such enquiry at it may deem fit, by order, direct the removal of the name of such person from the said register either permanently or for such period, as may be specified in the order.
- (4) Any person aggrieved by an order of the Council may prefer an appeal to the Government in such form and manner, within such time and on payment of such fee, as may be prescribed.
- (5) On receipt of such appeal, the Government may, after giving the person concerned an opportunity of being heard, pass such order as it deems fit which shall be final and binding.
- 34.** (1) The Council may frame regulations for determination of standards of education in the field of Physiotherapy required for granting recognized qualification in the State. Standards of education.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the regulations may provide for,—
- (a) the nature, period of study and of practical training to be undertaken before admission to an examination;
- (b) the equipments and facilities to be provided for students undergoing approved course of study;
- (c) the subjects of examinations and standards to be maintained;
- (d) any other conditions of admissions to examinations.
- (3) The regulations shall be forwarded by the Council to the Government for approval.
- (4) The Executive Committee shall from time to time report to the Council on the efficacy of these regulations and may recommend to the Council for such amendments thereof, as it may deem fit.
- 35.** (1) The Council shall furnish copies of its minutes, reports, abstracts of its accounts and other information to the Government whenever called for. Submission of reports etc. to Government.
- (2) The Council shall prepare once every year, in such form and at such time, as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copy thereof shall be forwarded to the Government.
- 36.** (1) The fund of the Council shall consist of— Fund.
- (a) registration fees;
- (b) grants received from the Government, if any;
- (c) all fee received, all income such as rent and profits derived from properties and funds vested in the Council, all grants and loss received, if any, from the Government, all endowments and donations received from any source, all other miscellaneous receipts and all remittances received in connection with the affairs of the Council.

- (2) The Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act 2 of 1934), as may be decided by the Executive Committee.
- (3) It shall be competent for the Council to incur expenditure for the following purposes, namely:-
- (a) salaries and allowances of the Registrar and the staff maintained by the Council;
 - (b) fees and allowances paid to the members of the Council and the Executive Committee;
 - (c) such other expenses, as are necessary for performing duties and discharging the functions under this Act.
- Budget.** **37.** The Council shall prepare, in such form and at such time each year, as may be prescribed, a budget in respect of the next financial year showing the estimated receipts and expenditure and copy thereof shall be forwarded to the Government.
- Accounts and audit.** **38.** (1) The annual report and accounts of the Council shall be approved by it and shall be got audited every year:
- Provided that the accounts of receipt and expenses of the fee levied and collected shall be duly certified by the Council in the annual report.
- (2) The audit shall be done by a Chartered Auditor appointed by the Executive Committee from a panel approved by Comptroller and Auditor General and the Council shall bear the cost of such audit.
- (3) The accounts of the Council may be audited by a competent authority of the State Government as and when the Government desires.
- Prohibition against unauthorized conferment of degree etc.** **39.** (1) Save as provided by this Act or the rules made thereunder, no person shall confer, grant, issue or hold himself out as entitled to confer, grant or issue any diploma, certificate or other document stating or implying that the holder, grantee or recipient thereof is qualified to practice as a Physiotherapist.
- (2) Whosoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five lakh rupees and if the person contravening is an association, every member of such association who knowingly or wilfully authorizes or permits the contravention shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to two lakh rupees.
- Persons not registered under this Act not to practice.** **40.** (1) No person other than a person registered under this Act shall practice as a Physiotherapist.
- (2) Any person who acts in contravention of this section shall on conviction be punishable,—
- (a) in the case of a first offence with imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to fifty thousand rupees; and
 - (b) in the case of a second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one year, but which shall not be less than three months and with fine which shall not be less than two lakh rupees which may extend to five lakh rupees.
- Members of Councils, officers etc. to be public servants.** **41.** Every member of the Council, all officers and employees appointed under this Act shall deemed to be public servants within the meaning of section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
- Cognizance of offence.** **42.** No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing, made by a person authorized in this behalf by the Council.
- Failure to surrender certificate of** **43.** If any person whose name has been removed from the register fails without sufficient cause, forthwith to surrender his certificate of registration or renewed certificate of registration or

registration. both, he shall, on conviction, be punishable with fine of rupees fifty thousand per month for such failure.

Directions by Government. **44.** (1) The Council shall carry out such directions as may be issued from time to time, by the Government for the efficient administration of this Act.

(2) If any dispute arises between the Council and the Government, in connection with the exercise of its authority and in the discharge of its functions under this Act, the decision of the Government on such dispute shall be final.

Power to supersede Council. **45.** (1) If at any time, it appears to the Government that the Council has failed to exercise, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act, or has wilfully or without sufficient cause failed to comply with any direction issued by the Government, the Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Council for such period, as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Government shall give a reasonable time to the Council to show cause as to why it should not be superseded and shall consider the explanation and objections, if any, of the Council.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1),-

- (a) all the members of the Council shall, notwithstanding that their term of office had not expired on the date of supersession, vacate their offices;
- (b) all the powers and duties which may, by or under the provision of this Act, be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Government may direct;
- (c) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the Government may-

- (a) extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary, but such period shall not more than two years; or
- (b) dissolve the existing Council and take steps to constitute a new Council.

Power to make rules. **46.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette make rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) The rules framed under sub-section (1) shall be subject to previous publication.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

Power to make regulations. **47.** (1) The Council may, with the previous sanction of the Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under for enabling it to perform its functions under this Act and generally to carry out the purposes of this Act, by notification in the Official Gazette.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the forgoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the management of the property of the Council;
- (b) the maintenance and audit of the accounts of the Council;
- (c) the rules of procedure for the transaction of business of the Council and its committees;
- (d) the qualifications, procedure for appointment of Inspectors, their powers and duties;
- (e) the courses and period of study or of training, to be undertaken, the subjects of examination and standards of proficiency therein to be obtained in any

recognised university or in any institution for grant of recognized physiotherapists qualification;

- (f) the standards of staff, equipment, accommodation, training and other facilities for study or training of the physiotherapists;
- (g) the conduct of examinations, qualifications of examiners and the conditions of the admission to such examinations;
- (h) the standard of professional conduct and etiquette and code of ethics to be observed by physiotherapists professionals under section 33;
- (i) any other matter which is to be, or may be, made by regulation.

(3) The Government may, by notification, rescind or modify any regulation made under this section and thereupon, the regulation shall cease to have effect or be modified accordingly.

Power to remove difficulties.

48. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is no existing Council for the registration of the Physiotherapists in the State and also no apex body at Centre level. The examination for the Bachelor of Physiotherapy and Masters of Physiotherapy (BPT and MPT) courses in Government Colleges and Private Colleges affiliated to Government University are being conducted by Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak. The centralised admission process for the BPT and MPT courses in Government Colleges and Private Colleges affiliated to Government University is conducted by the Department of Medical Education and Research, Haryana through Centralized Combined Counselling. Hence, there is a need to create a coherent and comprehensive overarching body in the State of Haryana to for purpose of registration of Physiotherapists in the State and for the recognition of institutions imparting training in the field of Physiotherapy and for co-ordination and determination of standards of education in the field of Physiotherapy. Since the Department of Medical Education and Research has been given the mandate to look after the Physiotherapy Education, the proposed Haryana State Council for Physiotherapy will work under the overall supervision of the Department of Medical Education and Research. The draft of Haryana State Council for Physiotherapy Bill has been prepared to establish/constitute the Haryana State Council for Physiotherapy and will be the sole body governing the field of Physiotherapy Education in Haryana State.

Hence, it is highly imperative to pass a law to achieve the objective of promotion, streamlining and regulation of Physiotherapy education and dealing with issues related to registration process and recognition of institutions imparting training associated with the Physiotherapy Education under single roof.

Hence, this Bill.

ANIL VIJ,
Health and Medical Education &
Research Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 46 of the proposed bill empowers State Government for frame rules for carrying out purpose of the Act. Clause 47 of the bill delegates the powers to the council to make regulations to carry out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2020 का विधेयक संख्या 07 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2020
राज्य में भौतिक-चिकित्साविदों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए तथा
भौतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को
मान्यता देने के लिए तथा भौतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के
मानकों के समन्वयन तथा अवधारण के लिए हरियाणा राज्य
भौतिक-चिकित्सा परिषद् का गठन करने के लिए तथा
उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक
मामलों के लिए उपबन्ध
करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् ;
 - (ख) "समानक तथा पंजीकरण समिति" से अभिप्राय है, धारा 13 के अधीन गठित समानक तथा पंजीकरण समिति ;
 - (ग) "कार्यकारी समिति" से अभिप्राय है, धारा 12 के अधीन परिषद् द्वारा गठित कार्यकारी समिति ;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (ङ) "निरीक्षक" से अभिप्राय है, धारा 24 के अधीन कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक ;
 - (च) "संस्था" से अभिप्राय है, भौतिक-चिकित्सा में शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था ;
 - (छ) "सदस्य" से अभिप्राय है, परिषद् का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं ;
 - (ज) "भौतिक-चिकित्साविद्" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था से भौतिक-चिकित्सा की योग्यता रखता हो तथा जिसका नाम भौतिक-चिकित्साविदों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो ;
 - (झ) "भौतिक-चिकित्सा" से अभिप्राय है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कोई शाखा जिसमें अभ्यास, संघटन, परिचालन, यांत्रिक तथा विद्युत भौतिक-चिकित्सा, क्रिया तथा यन्त्र या निदान, उपचार तथा रोकथाम सहित संचालन असामान्यता, शारीरिक रूप से अपक्रिया, शारीरिक विकार, अशक्तता, चोट तथा रोग से चंगा होना तथा पीड़ा, शारीरिक कारकों को प्रयोग करते हुए शारीरिक तथा मानसिक स्थिति के प्रयोजन के लिए या के संबंध में उपक्रमात्मक किसी व्यक्ति को जांच, उपचार, सलाह तथा अनुदेशन शामिल है ;
 - (ञ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
 - (ट) "मान्यताप्राप्त संस्था" से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ;
 - (ii) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

- (ठ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है ;
- (ड) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, धारा 29 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किया गया तथा अनुरक्षित भौतिक-चिकित्साविदों का रजिस्टर ;
- (ढ) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्राय है, कोई भौतिक-चिकित्साविद् जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है तथा बना रहता है ;
- (ण) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 16 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार ;
- (त) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम ;
- (थ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

परिषद् का गठन।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् के नाम से ज्ञात कोई निकाय, इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको समनुदेशित कृत्य करने के लिए गठित करेगी।

(2) परिषद् इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उतराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली कोई निगमित निकाय होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) परिषद् का मुख्यालय पंचकूला, हरियाणा में होगा।

परिषद् की संरचना।

4. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली परिषद् का गठन करेगी, अर्थात् :-

- (i) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग अध्यक्ष होगा ;
- (ii) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग में भौतिक-चिकित्सा के विषय से संबंधित उप निदेशक उपाध्यक्ष होगा;
- (iii) सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक सरकारी शिक्षण संस्था से शिक्षण संकाय में से नामनिर्देशित किये जाने वाला एक भौतिक-चिकित्साविद्;
- (iv) सरकार द्वारा राज्य में सरकारी सहायताप्राप्त या निजी संस्थाओं में शिक्षण संकाय में से नामनिर्देशित किये जाने वाले तीन भौतिक-चिकित्साविद्;
- (v) पंजीकृत व्यवसायियों में से परिषद् द्वारा संचालित निर्वाचन में चुने गए दो सदस्य;
- (vi) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला हरियाणा चिकित्सा परिषद् से एक सदस्य।

(2) परिषद् का रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा।

अयोग्यता।

5. (1) कोई व्यक्ति, सदस्य के रूप में, नामनिर्देशित किए जाने के लिए योग्य नहीं होगा, यदि वह,—

- (i) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;
- (ii) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या किया जाता है, जो सरकार की राय में उसे परिषद् का सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराता है ;
- (iii) अनुन्मोचित दिवालिया है ;
- (iv) परिषद् द्वारा व्यवसाय में किसी रीति में कुत्सित आचरण के लिए दण्डित किया गया है ;
- (v) सरकार या किसी संस्था की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ;
- (vi) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या में दर्ज नहीं किया गया है; या
- (vii) बासठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।

(2) यदि कोई सदस्य, परिषद् की अनुमति के बिना, या ऐसे कारणों, जो परिषद् की राय में पर्याप्त हों, के बिना परिषद् की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो परिषद् उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है तथा रिक्ति को भरने हेतु कदम उठा सकती है।

(3) यदि कोई सदस्य, उप-धारा (1) में वर्णित किन्हीं अयोग्यताओं के अधीन अयोग्य बनता है या पाया जाता है, तो परिषद् सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा सरकार अयोग्यताओं के बारे में यदि संतुष्ट हो तो उसकी सीट को रिक्त घोषित करेगी।

6. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यों की पदावधि उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष होगी।

सदस्य की पदावधि।

(2) जहां तीन वर्ष की उक्त अवधि किसी सदस्य के संबंध में समाप्त होने वाली है, तो कोई उत्तराधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय नामनिर्देशित किया जा सकता है, किन्तु वह तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उक्त अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) कोई भी सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए या बासठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा।

7. (1) परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद पर उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाने या निःशक्तता या अन्यथा के कारण होने वाली कोई आस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति के होने की तिथि से छह मास की अनधिक अवधि के भीतर, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में भरी जाएगी।

आस्मिक रिक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, सदस्य जिसकी रिक्ति में वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

8. (1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य किसी भी समय परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित लिखित में नोटिस द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसा त्यागपत्र सरकार को भेजा जाएगा।

त्यागपत्र।

(2) प्रत्येक ऐसा त्यागपत्र, तिथि, जिसको यह सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, से प्रभावी होगा।

9. (1) परिषद् कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और अनेक बार भी बैठक कर सकती है, जो इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो।

परिषद् की बैठकें।

(2) अध्यक्ष, जब उपस्थित हो, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले उपाध्यक्ष या सदस्य को अध्यक्ष की सभी शक्तियां होंगी।

(3) बैठक में कारबार के सभी संव्यवहार सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

(4) बैठक की अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी, परिषद् के सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त, मतों की समानता की दशा में, निर्णायक मत रखेगा।

10. परिषद् की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी :

गणपूर्ति।

परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घण्टे में, गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, आगामी दिन के ऐसे घण्टे के लिए बैठक स्थगित करेगा जैसा वह परिषद् के नोटिस बोर्ड और वैबसाइट पर अधिसूचित करे। कारबार, जो मूल बैठक के समक्ष लाया जा सकता है, स्थगित की गई बैठक के समक्ष लाया जाएगा और ऐसी बैठक या उसके किसी पश्चात्वर्ती स्थगन में निपटान किया जाएगा, चाहे गणपूर्ति पूरी है या नहीं।

11. (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति, बैठक की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर, सरकार या इस निमित्त इस द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

बैठकों की कार्यवाहियां।

(2) परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति या परिषद् के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

12. (1) परिषद् ऐसे कृत्य, रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में करने के लिए अपने सदस्यों में से कार्यकारी समिति का गठन करेगी।

कार्यकारी समिति का गठन।

(2) कार्यकारी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) परिषद् का अध्यक्ष सभापति होगा ;
- (ii) परिषद् का उपाध्यक्ष उपसभापति होगा;
- (iii) परिषद् का रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा;

- (iv) हरियाणा राज्य चिकित्सा परिषद् का एक नामनिर्देशित सदस्य;
 (v) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला, धारा 4 के उप-खण्ड (iii), (iv) तथा (v) से एक-एक सदस्य।

(3) कार्यकारी समिति का सदस्य, परिषद् के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति तक धारण करेगा तथा वह पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र होगा।

(4) कार्यकारी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो विनियमों द्वारा इसको प्रदत्त की जाएं या किए जाएं।

समानक तथा
पंजीकरण समिति।

13. (1) भौतिक-चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की मान्यता की सिफारिश के प्रयोजन के लिए और भौतिक-चिकित्साविदों के पंजीकरण से संबंधित मामलों के विचारण के लिए समानक तथा पंजीकरण समिति होगी। इस समिति की सिफारिशें, कार्यकारी समिति और परिषद्, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो, के अनुमोदन के अध्वधीन होंगी।

(2) उपाध्यक्ष ऐसी समिति का सभापति होगा। भौतिक-चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच अन्य सदस्य होंगे।

उप-समितियां।

14. परिषद् ऐसे प्रयोजनों, जो यह आवश्यक समझे, के लिए अपने सदस्यों में से उप-समितियां गठित कर सकती है।

फीस तथा भत्तों
का भुगतान।

15. परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों के सम्बन्ध में उनकी उपस्थिति के लिए ऐसी फीस और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

रजिस्ट्रार।

16. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो भौतिक-चिकित्साविद् होगा।

(2) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का ढंग, वेतन, भत्ते, निलंबन, पदच्युति, हटाया जाना तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) परिषद् के सामान्य अधीक्षण तथा नियन्त्रण के अध्वधीन, रजिस्ट्रार परिषद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों और ऐसे अन्य कृत्य, जो परिषद् द्वारा, समय-समय पर, उसको समनुदेशित किए जाएं, करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) अवकाश या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार के कार्यालय में किसी अस्थाई रिक्ति के दौरान, कार्यकारी समिति, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उसके स्थान पर कार्य करने के लिए कोई सदस्य नियुक्त कर सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु रजिस्ट्रार के रूप में समझा जाएगा।

(5) परिषद्, के लेखे ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाएंगे।

(6) रजिस्ट्रार को अमले पर पर्यवेक्षी शक्तियां होंगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

परिषद् के अन्य
कर्मचारी।

17. (1) परिषद्, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, रजिस्ट्रार से भिन्न ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों, जो वह इस अधिनियम के अध्वधीन उसके कर्तव्यों के पालन तथा उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, को नियुक्त कर सकती है।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, वेतन तथा भत्ते, अनुशासन और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

नई संस्थाओं की
स्थापना के लिए
अनुमति।

18. (1) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए से,—

(क) कोई भी व्यक्ति भौतिक-चिकित्सा प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना नहीं करेगा; या

(ख) कोई भी संस्था, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त की गई सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय—

(i) कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शामिल है) प्रारम्भ नहीं करेगी, जो किसी मान्यताप्राप्त भौतिक-चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए विद्यार्थी को ऐसे कोर्स या प्रशिक्षण अर्हक होने हेतु समर्थ कर सकती है; या

(ii) भौतिक-चिकित्सा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शामिल है), में इसकी प्रवेश क्षमता नहीं बढ़ाएगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या संस्था, उप-धारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सरकार को आवेदन प्रस्तुत करेगी तथा सरकार आवेदन सिफारिशों के लिए परिषद् को भेजेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, परिषद् ऐसे अन्य ब्यौरे, जो इसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्राप्त कर सकती है तथा इसके बाद यह,

(क) यदि आवेदन त्रुटिपूर्ण है तथा इसमें आवश्यक ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, लिखित अभ्यावेदन करने हेतु सम्बद्ध व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर दे सकती है तथा ऐसे व्यक्ति के लिए परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट त्रुटि, यदि कोई हो, में सुधार करना प्रभावनीय होगा ;

(ख) उप-धारा (6) में निर्दिष्ट कारणों के सम्बन्ध में आवेदन पर विचार कर सकती है, तथा आवेदन उस पर इसकी सिफारिशों सहित सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।

(4) सरकार, आवेदन तथा परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, आवेदन अनुमोदित कर सकती है। प्रदान किया गया अनुमोदन उप-धारा (1) के अधीन अनुमति के रूप में समझा जाएगा।

(5) आवेदन के अननुमोदन की दशा में, ऐसे अननुमोदन के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे तथा कारणों सहित ऐसा निर्णय आवेदक को सूचित किया जाएगा :

परन्तु आवेदक, सरकार द्वारा उठाए गए आक्षेपों के लिए स्पष्टीकरण सहित सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है तथा सरकार, उन स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, अनुमति प्रदान कर सकती है :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई भी बात, किसी व्यक्ति, जिसका आवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, को नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नहीं रोकेगी तथा उप-धारा (1) के उपबन्ध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(6) परिषद् उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन इसकी सिफारिश करते समय निम्नलिखित कारणों पर सम्यक् ध्यान देगी, अर्थात् :-

(क) क्या नया या उच्चतर पाठ्यक्रम का प्रारम्भ चाहने वाली प्रस्तावित या विद्यमान संस्था, विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिक्षा के न्यूनतम मानक देने की स्थिति में है ;

(ख) क्या किसी संस्था की स्थापना चाहने वाले व्यक्ति या नया या उच्चतर पाठ्यक्रम का प्रारम्भ चाहने वाली विद्यमान संस्था, के पास इसकी प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं ;

(ग) क्या संस्था की उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने हेतु या नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संचालन हेतु या बड़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करने हेतु अमला, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं या आवेदन में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवा दी जाएंगी ;

(घ) क्या मान्यताप्राप्त भौतिक-चिकित्सा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसी संस्था में उपस्थिति या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संभाव्य विद्यार्थितयों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई व्यवस्था की गई है या कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ङ) क्या भौतिक-चिकित्सा के व्यवसाय के क्षेत्र में मानव-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है या कार्यक्रम तैयार किया गया है; तथा

(च) ऐसे अन्य कारण, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) जहां सरकार इस धारा के अधीन आवेदन का या तो अनुमोदन या अननुमोदन करने के आदेश पारित करती है, तो आदेश की प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को संप्रेषित की जाएगी।

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" में कोई विश्वविद्यालय, न्यास, सोसाइटी, संस्था या कम्पनी शामिल है किन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं है।

19. (1) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, इस अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित कोई संस्था, ऐसी संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई कोई भौतिक-चिकित्सा योग्यता इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त योग्यता नहीं होगी।

कतिपय मामलों में योग्यताओं की अमान्यता।

(2) जहां कोई संस्था, इस अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करती है, जिसमें कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शामिल है, तो ऐसी संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई योग्यता इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त योग्यता नहीं होगी।

(3) जहां कोई संस्था, इस अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में इसकी प्रवेश क्षमता बढ़ाती है, इसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसी संस्था के किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई कोई भौतिक-चिकित्सा योग्यता, इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त भौतिक-चिकित्सा योग्यता नहीं होगी।

(4) विद्यार्थी, जिसको प्रवेश क्षमता की अप्राधिकृत वृद्धि के आधार पर भौतिक-चिकित्सा योग्यता प्रदान की गई है, को पहचानने के लिए मानदण्ड ऐसे होंगे, जो वहित किए जाएं।

कतिपय विद्यमान संस्थाओं के लिए अनुमति लेने हेतु समय।

20. (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी व्यक्ति ने कोई संस्था स्थापित की है या किसी संस्था ने कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है, या इसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है, तो ऐसा व्यक्ति या संस्था, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सरकार की अनुमति लेगा।

(2) यदि ऐसी संस्था उप-धारा (1) के अधीन अनुमति लेने में असफल रहती है, तो, जहां तक हो सके, धारा 19 के उपबन्ध लागू होंगे, मानो धारा 18 के अधीन सरकार की अनुमति नामंजूर कर दी गई है।

भौतिक-चिकित्सा योग्यता की मान्यता।

21. (1) राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदान की गई योग्यताएं, जो हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के बाद भौतिक-चिकित्सा तथा भौतिक-चिकित्साविदों के लिए मान्यताप्राप्त योग्यताएं होंगी।

(2) हरियाणा राज्य से भिन्न भारत में कोई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था, जो भौतिक-चिकित्सा में योग्यताएं प्रदान करती है, उसके द्वारा प्रदान की जा रही भौतिक-चिकित्सा योग्यता की मान्यता लेने हेतु परिषद् को आवेदन कर सकती है। परिषद् आगे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दी गई भौतिक-चिकित्सा योग्यता को मान्यता प्रदान करने हेतु इसकी सिफारिश सहित सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

मान्यता का प्रभाव।

22. (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा भौतिक-चिकित्सा में प्रदान की गई डिग्री, रजिस्टर में दर्ज करने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के बाद, भौतिक-चिकित्साविद् के रूप में रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह मान्यताप्राप्त योग्यता धारण नहीं करता :

परन्तु किसी वाद की दशा में क्या कोई व्यक्ति नाम दर्ज किए जाने के लिए हकदार है, तो मामला सम्बन्धित समानक तथा पंजीकरण समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो संदर्भ पर विचार करेगी तथा कार्यकारी समिति को सिफारिश करेगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—

(क) मान्यताप्राप्त योग्यता धारण करने वाला भारत का कोई नागरिक, जो उस देश की सरकार द्वारा किसी विदेश में भौतिक-चिकित्सा की किसी परिषद् में पंजीकृत किए जाने के लिए उसे हकदार बनाती है, परिषद् के अनुमोदन से संबंधित देश द्वारा उक्त योग्यता को मान्यता दिए जाने तक रजिस्टर में अस्थाई रूप से दर्ज किया जा सकता है ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो अध्यापन, अनुसंधान या पुन्यार्थ कार्य के प्रयोजन के लिए भारत में सम्बद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अस्पताल या संस्था में, भौतिक-चिकित्सा अध्यापक के रूप में कार्यरत है, परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से, ऐसी अवधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए रजिस्टर में अस्थाई रूप से दर्ज किया जा सकता है :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को सामान्य भौतिक-चिकित्साविद् के रूप में व्यवसाय हेतु अनुमत नहीं किया जाएगा तथा ऐसा अध्यापन या कार्य अस्पताल या संस्था जिससे वह आसक्त है, तक सीमित होगा :

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के अधीन ऐसा कोई भी नामांकन तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक परिषद् स्वयं की संतुष्टि नहीं कर लेती कि ऐसा व्यक्ति स्क्रीन टैस्ट या ऐसा अन्य टैस्ट या परीक्षा, जो विहित किया जाए, संचालित करते हुए भौतिक-चिकित्सा व्यवसाय हेतु अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल न रखता हो।

23. राज्य में प्रत्येक संस्था या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय जो कोई मान्यताप्राप्त योग्यता या मान्यताप्राप्त उच्च योग्यता प्रदान करता है, ऐसे ब्यौरे तथा सूचना, जो समय-समय पर, परिषद् द्वारा ऐसी योग्यता प्राप्त करने के क्रम में किए जाने वाले तथा सामान्यतः ऐसी योग्यता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण तथा परीक्षा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तथा परीक्षा के संबंध में सूचना की अपेक्षा हेतु शक्ति।

24. (1) कार्यकारी समिति, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा ऐसी संख्या में निरीक्षक, जो यह किसी संस्था जहां भौतिक-चिकित्सा में शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है, के निरीक्षण हेतु तथा कोई मान्यताप्राप्त योग्यता या मान्यताप्राप्त उच्चतर योग्यता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में उपस्थिति हेतु, आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

निरीक्षक।

(2) इस धारा के अधीन नियुक्त निरीक्षक किसी परीक्षा की चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किन्तु कार्यकारी समिति को, प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए संस्था की उपयुक्तता पर या उसमें प्रशिक्षण की पर्याप्तता पर, जैसी भी स्थिति हो या परीक्षाओं के मानक की पर्याप्तता पर या किन्हीं अन्य मामलों जिनके संबंध में कार्यकारी समिति उनसे रिपोर्ट की अपेक्षा करे, रिपोर्ट करेंगे।

(3) कार्यकारी समिति समानक तथा पंजीकरण समिति से परामर्श करने के बाद, ऐसी रिपोर्ट की प्रति सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था को भेजेगी और टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित प्रति परिषद् तथा सरकार को भेजेगी।

25. (1) जब कार्यकारी समिति द्वारा रिपोर्ट पर, परिषद् को यह प्रतीत हो कि,—

मान्यता वापस लेना।

(क) राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मान्यताप्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए, लिए जाने वाले पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण तथा परीक्षाएं या ऐसे कोर्सों में प्रवेश या ऐसी परीक्षाओं में उम्मीदवारों से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों के लिए शर्तें ; या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था में उपलब्ध करवाया गया अमला, उपकरण, आवास प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण, अधिनियम के अधीन के अनुरूप नहीं या परिषद् द्वारा विहित मानकों से कम है, के लिए परिषद्, सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन करेगी। ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद सरकार ऐसी टिप्पणियों सहित, जो यह उचित समझे, इसे अवधि, जिसके भीतर विश्वविद्यालय या संस्था सरकार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकती है, की सूचना सहित सम्बद्ध विश्वविद्यालय या संस्था को भेजेगी।

(2) स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, यदि संतुष्ट हो, तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा करेगी कि उक्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यता मान्यताप्राप्त योग्यता होगी।

(3) जहां सम्बद्ध विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा नियत अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है या दिए गए स्पष्टीकरण से असंतुष्ट है, तो सरकार, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो यह ठीक समझे, करने के बाद, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त विश्वविद्यालय या संस्था को दी गई मान्यता वापस लेगी तथा यह घोषित करेगी कि उक्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यता केवल तब मान्यताप्राप्त योग्यता होगी जब विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व दी गई हो।

26. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

पंजीकरण।

(2) पंजीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अतिरिक्त मान्यताप्राप्त योग्यता के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, का भुगतान करेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसका पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार किया जाता है, ऐसी अस्वीकृति की तिथि से तीन मास के भीतर, परिषद् को अपील दायर कर सकता है तथा उस पर परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

- पंजीकरण का नवीकरण।
27. (1) धारा 26 के अधीन किया गया प्रत्येक पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा पांचवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवीकृत करवाना होगा जिसमें असफल रहने पर व्यक्ति का नाम हटाया गया समझा जाएगा।
- (2) नवीकरण फीस तथा जुर्माना, यदि कोई हो, के भुगतान पर, रजिस्ट्रार, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सम्बद्ध व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन की वापसी।
28. जहां कोई व्यक्ति, जो पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के बाद वापसी के लिए आवेदन करता है या उसका पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदन फीस समपहृत हो जाएगी।
- रजिस्टर को तैयार करना और उसका रख-रखाव।
29. (1) परिषद् ऐसे रूप में और ऐसे ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, रखने वाले अलग रजिस्ट्रों का रख-रखाव करेगी।
- (2) रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 74 के अर्थ के भीतर लोक दस्तावेजों के रूप में समझे जाएंगे।
- रजिस्टर से नाम हटाना।
30. परिषद्, आदेश द्वारा, किसी भौतिक-चिकित्साविद् का नाम रजिस्टर से हटा सकती है, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) द्वारा यथा परिभाषित किसी संज्ञेय अपराध का दोषी ठहराया गया है या सम्यक् जांच के बाद वृत्तिक अवचार के लिए दोषी पाया गया है।
- रजिस्टर से नाम हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील।
31. (1) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी अन्य आधार पर रजिस्टर से हटाया गया है, सिवाए इसके कि वह अपेक्षित भौतिक-चिकित्सा योग्यता नहीं रखता है, तो वह तीस दिन की अवधि, ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, के भीतर परिषद् को अपील कर सकता है। परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी, यदि यह आदेश की तिथि से तीस तीन की अवधि की समाप्ति के बाद की जाती है :
- परन्तु कोई अपील तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ग्रहण की जा सकती है, यदि आवेदक परिषद् की संतुष्टि कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।
- भौतिक-चिकित्साविद् के अधिकार तथा विशेषाधिकार।
32. किसी भौतिक-चिकित्साविद् से भिन्न, कोई भी व्यक्ति,—
- (क) सरकार में या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था में भौतिक-चिकित्साविद् के रूप में पद धारण नहीं करेगा ;
- (ख) राज्य में कहीं भी भौतिक-चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा तथा ऐसे व्यवसाय के संबंध में कोई व्यय या फीस, जिसका वह हकदार हो सकता है, वसूल नहीं करेगा ;
- (ग) किसी भौतिक-चिकित्साविद् द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किए जाने के लिए किसी विधि द्वारा अपेक्षित किसी प्रमाणपत्र को हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित करने के लिए हकदार नहीं होगा ;
- (घ) भौतिक-चिकित्सा से संबंधित किसी मामले पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में किसी न्यायालय में कोई साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा।
- वृत्तिक आचरण।
33. (1) परिषद् भौतिक-चिकित्साविद् के लिए वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीतिशास्त्र संहिता के मानकों को विहित करते हुए विनियम बना सकती है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन बनाये गये विनियमों में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उसके किन उल्लंघनों से वृत्तिक अवचार गठित होगा और तत्समय लागू राज्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे उपबन्ध प्रभावी होंगे।
- (3) जब कभी कार्यकारी समिति, ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, सिफारिश करती है कि रजिस्टर में पंजीयन किसी व्यक्ति के नाम को वहां से हटाया जाना है, तो परिषद् को रिपोर्ट करेगी तथा परिषद् ऐसी जांच, जो वह ठीक समझें, के बाद, आदेश द्वारा उक्त रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति के नाम को या तो स्थाई रूप से या ऐसी अवधि, जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, के लिए हटाने के निर्देश देगी।
- (4) परिषद् के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- (5) ऐसी अपील की प्राप्ति पर, सरकार, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकती है, जो वह ठीक समझे, जो अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

34. (1) परिषद्, राज्य में मान्यताप्राप्त योग्यता की स्वीकृति के लिए अपेक्षित भौतिक-चिकित्सा के शिक्षा के मानक। क्षेत्र में शिक्षा के मानकों का अवधारण करने के लिए विनियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित उपबन्ध कर सकती है,—

- (क) अध्ययन की प्रकृति, कालावधि तथा परीक्षा में प्रवेश से पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए वचनबध करवाना ;
- (ख) अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए उपकरणों तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना ;
- (ग) परीक्षाओं के विषय तथा मानकों का रखरखाव करवाना ;
- (घ) परीक्षाओं में प्रवेश की कोई अन्य शर्तें।

(3) परिषद् द्वारा विनियम सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

(4) कार्यकारी समिति इन विनियमों के प्रभावोत्पादकता पर परिषद् को समय-समय पर रिपोर्ट करेगी तथा परिषद् को उसमें ऐसे संशोधनों, जो वह उचित समझे, के लिए सिफारिश करेगी।

35. (1) परिषद्, सरकार को इसके कार्यवृत्तों, रिपोर्टों, इसके लेखों के उद्धरण तथा अन्य सूचनाएं, सरकार को रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करना। जब भी माँग की जाए, प्रस्तुत करेगी।

(2) परिषद् प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय, जो विहित किया जाए, पर पूर्व वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों के यथार्थ तथा पूर्ण लेखे देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी प्रति सरकार को भेजी जाएगी।

36. (1) परिषद् की निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— निधि।

- (क) पंजीकरण फीस;
- (ख) सरकार से प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) सभी प्राप्त फीस, सभी आय जैसे कि सम्पत्तियों से व्युत्पन्न किराया तथा लाभ तथा परिषद् में निहित निधियाँ, सरकार से प्राप्त सभी अनुदान तथा हानि, यदि कोई हो, किसी स्रोत से प्राप्त वृत्तिदान तथा दान, सभी अन्य विविध प्राप्तियाँ तथा परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त सभी प्रेषण।

(2) निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक में जमा करवाई जाएगी, जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) यह निम्नलिखित प्रयोजनों के उपगत खर्च के लिए परिषद् सक्षम होगी; अर्थात्:—

- (क) रजिस्ट्रार तथा परिषद् द्वारा अनुरक्षित अमला के वेतन तथा भत्ते;
- (ख) परिषद् तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को भुगतान की गई फीस तथा भत्ते;
- (ग) ऐसे अन्य खर्च, जो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

37. परिषद्, प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय, जो विहित किया जाए, पर आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्च को दर्शाते हुए बजट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति सरकार को भेजी जाएगी। वित्त।

38. (1) परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, इसके द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे तथा प्रतिवर्ष संपरीक्षित करवाए जाएंगे: लेखे और संपरीक्षा।

परन्तु उद्गृहीत तथा संगृहीत फीस की प्राप्ति तथा खर्च के लेखे वार्षिक रिपोर्ट में परिषद् द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित किये जाएंगे।

(2) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और परिषद् ऐसी संपरीक्षा की लागत वहन करेगी।

(3) परिषद् के लेखे, जब कभी सरकार चाहे, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षित किए जा सकते हैं।

डिग्री इत्यादि के अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने पर प्रतिषेध

39. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि पत्र, प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज अनुदत्त, प्रदान, जारी नहीं किया जाएगा अथवा स्वयं अनुदत्त, प्रदान या जारी करने का हकदार नहीं होगा, यह कथित करते हुए या अर्थ लगाते हुए कि उसका धारक, प्राप्तकर्ता या प्रापक भौतिक-चिकित्साविद् के रूप में व्यवसाय करने के लिए योग्य हैं।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने, जो पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघना करने वाला व्यक्ति कोई संघ है, तो ऐसे संघ का प्रत्येक सदस्य, जो जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघना प्राधिकृत करता है अथवा अनुज्ञा देता है, तो दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय न करना।

40. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत से भिन्न कोई भी व्यक्ति, भौतिक-चिकित्साविद् के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास से और ऐसे जुर्माने, जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डनीय होगा; और

(ख) द्वितीय अथवा पश्चात्पूर्वी अपराध की दशा में, ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है, किन्तु तीन मास से कम नहीं होगी, के कारावास से और ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

परिषदों के सदस्यों, अधिकारियों इत्यादि का लोक सेवक होना।

41. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त परिषद् के प्रत्येक सदस्य, सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 25 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।

अपराध का संज्ञान।

42. कोई भी न्यायालय, परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र को अभ्यर्पण करने में असफल होना।

43. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है, पर्याप्त कारण के बिना अपने पंजीकरण के प्रमाण-पत्र को तुरन्त अभ्यर्पण करने या पंजीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाने या दोनों में असफल रहता है तो, वह दोषसिद्धि पर, पचास हजार रुपये प्रति मास के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

सरकार द्वारा निर्देशन।

44. (1) परिषद् ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगी जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किए जाएं।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् के प्राधिकार के प्रयोग के संबंध में तथा इसके कृत्यों के निर्वहन में, परिषद् तथा सरकार के बीच कोई वाद उत्पन्न होता है तो, ऐसे वाद पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

परिषद् का अधिक्रमण करने की शक्ति।

45. (1) यदि सरकार को किसी समय यह प्रतीत होता है कि परिषद् इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन इसे सौंपे गए कर्तव्यों की पालना करने में असफल रहती है अथवा निरंतर चूक करती है, अथवा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का अधिक प्रयोग करती है अथवा दुरुपयोग करती है, अथवा जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना सरकार द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों की पालना करने में असफल रहती है, तो सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अवधि, जो अधिसूचना में विहित की जाए, के लिए परिषद् का अधिक्रमण कर सकती है :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी होने से पूर्व, सरकार, परिषद् को युक्ति-युक्त समय देगी कि क्यों न इसका अधिक्रमण कर दिया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आक्षेप यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के बाद,—

(क) परिषद् के सभी सदस्य अधिक्रमण की तिथि को उनकी पदावधि की समाप्ति के न होते हुए भी, अपने पदों को छोड़ेंगे;

- (ख) सभी शक्तियाँ तथा कर्तव्यों, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन परिषद् के द्वारा या के निमित्त प्रयोग की जा सकती हैं या का पालन किया जा सकता है, अधिक्रमण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें सरकार निर्देश करे, द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा;
- (ग) अधिक्रमण की अवधि के दौरान, परिषद् में निहित सभी संपत्तियाँ, सरकार में निहित होंगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण अवधि की समाप्ति पर, सरकार—

- (क) अधिक्रमण की अवधि, ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो यह आवश्यक समझे, किन्तु ऐसी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी; या
- (ख) विद्यमान परिषद् को समाप्त करने तथा नई परिषद् के गठन के लिए उपाय करेगी।

46. (1) सरकार, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, सभी मामलों जिनके लिए उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, के लिए उपबन्ध करने हेतु नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाये गए नियम पूर्व प्रकाशन के अधीन होंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।

47. (1) परिषद्, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों का निर्वहन करने और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में समर्थ होने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से अन्वसंगत विनियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित मामलों के सभी या किन्हीं उपबन्ध के लिए ऐसे विनियम बना सकती है, अर्थात् :—

- (क) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्धन;
- (ख) परिषद् के लेखों का रखरखाव तथा संपरीक्षा;
- (ग) परिषद् तथा इसकी समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया के लिए नियम;
- (घ) निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, प्रक्रिया, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य;
- (ङ) प्रारम्भ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन या प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा के विषय और मान्यताप्राप्त भौतिक-चिकित्साविद् अर्हता प्रदान करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी संस्था से प्राप्त करने के लिए प्रवीणता के मानक;
- (च) भौतिक-चिकित्साविदों के अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए अमले, यन्त्र, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के मानक;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की अर्हताएं और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें;
- (ज) धारा 33 के अधीन व्यावसायिक भौतिक-चिकित्साविदों द्वारा अनुपालित किये जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीतिशास्त्र संहिता के मानक;
- (झ) कोई अन्य मामला, जो विनियम द्वारा बनाया जाना है या बनाया जा सकता है।

(3) सरकार, इस धारा तथा इसके अधीन बनाए गये किन्हीं विनियमों को अधिसूचना द्वारा रद्द या संशोधित कर सकती है, विनियम तदानुसार प्रभावहीन या संशोधित होंगे।

48. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राज्यपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन किया गया कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य में भौतिक-चिकित्साविदों के पंजीकरण के लिए कोई भी परिषद् विद्यमान नहीं है तथा केन्द्र के स्तर पर कोई अपेक्स निकाय भी नहीं है। सरकारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक भौतिक-चिकित्सा तथा स्नातकोत्तर (बी०पी०टी० और एम०पी०टी०) कोर्सों के लिए परीक्षा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा संचालित की जा रही है। सरकारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी महाविद्यालयों तथा निजी महाविद्यालयों में स्नातक भौतिक-चिकित्सा और स्नातकोत्तर भौतिक-चिकित्सा के लिए केन्द्रित प्रवेश प्रक्रिया केन्द्रित संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसलिए राज्य में भौतिक-चिकित्साविदों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए और भौतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिए और भौतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के मानकों के समन्वयन और अवधारण के लिए हरियाणा राज्य में सुसंगत और व्यापक अति महत्वपूर्ण निकाय सृजित करने की जरूरत है, चूंकि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को भौतिक-चिकित्सा शिक्षा की देखभाल के लिए आदेश दिए गए हैं, प्रस्तावित हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् पूर्ण रूप से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेगी। हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् की स्थापना/गठन हेतु हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् का विधेयक प्रारूप तैयार कर दिया गया है और हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शासन करने वाली एकमात्र निकाय होगी। इसलिए भौतिक-चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन, सरलता और विनियमन के उद्देश्य प्राप्त करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने और एकल छत के अधीन भौतिक-चिकित्सा शिक्षा से सहयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिए विधि पारित करना अति अनिवार्य है।

इसलिए, यह विधेयक।

अनिल विज,
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा एवं
अनुसंधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 25 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 46 इस अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति हेतू राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है। इसी प्रकार विधेयक का खण्ड 47 परिषद के अधिनियम के प्रयोजन की पालना करने हेतू विनियम बनाने की शक्तियाँ प्रत्यायुक्त करता है। कार्यकारियों को इस शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में यह विधेयक प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 में दिए गए प्रावधानों अनुसार प्रत्यायोजित विधान के बारे में है।